संख्या-52/2017/758/22-4-17-48(31)/16

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 12 सितम्बर, 2017

विषय- डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परिसर में 02 व्याख्यान कक्ष तथा महिला छात्रावास के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31495/नम-4/02 व्याख्यान कक्ष का निर्माण, दिनांक 31.08.2017 एवं पत्र संख्या-31550/नम-4/संस्थान परिसर/छात्रावास, दिनांक 31.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परिसर में 02 नग व्याख्यान कक्ष के निर्माण हेतु शासनदेश संख्या-92/2016/771/22-4-16-48(31)/16, दिनांक 06.07.2016 द्वारा रू0 153.82 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 76.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं महिला छात्रावास के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-186/2016/1584/22-4-16-48(31)/16, दिनांक 15.12.2016 द्वारा रू0 249.66 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ परिसर में 02 व्याख्यान कक्ष तथा महिला छात्रावास के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु (क्रमशः रू0 76.91 लाख एवं रू0 219.66 लाख अर्थात कुल रू0 296.57 लाख) अवशेष धनराशि रू0 2,96,57,000/- (रूपया दो करोड़ छियान्नवे लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रशनगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 06.07.2016 एवं 15.12.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 52/2017/758(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in